21-9-2021

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उपस्थित नहीं। वकील पार्टी उप० नहीं। वकील पार्टी को बार-2 आवाज लगाई गई। बार-2 आवाज लगाने के बाद भी ना तो वकील पार्टी हाजिर आई ना ही 2 माह पार्टी हाजिर। अतः धारा 25/1 का को अमल लाया जाता है। मुकदमा पत्रावली से खारिज किया जाता है। पत्रावली कोर्ट भुगतान शाखा के कक्ष में व खारिज दाखिल है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2022.06.23 13:02:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner